क्षेत्र विकास योजना के लिए धनराशियों का समय पर आबंटन होने के बावजूद मध्य प्रदेश के इंदौर जिला प्रशासन ने उन धनराशियों को 1995-96 में संसद सदस्यों द्वार सुझायी गई योजनाओं पर खत्र करने की बजाया उनका दुरूयोग किया है:

(ख) कया यह भी सच है कि वर्ष 1995-96 के लिए अनुमोदित लोक निर्माण कार्य पूरे नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या यह धनराशि प्रशासन के विवेकानुसार अन्य कार्यो पर खर्च की गई हैं ; और

(घ) यदि हां,तो संबंधित प्रशासन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम): (क) जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि वर्ष 1995-96 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशियों का दुरूपयोग नहीं किया गया है ।

(ख) जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96 में इंदौर जिले में माननीय ससांद की अनुशंसा पर 43 कार्यो को स्वीकृत दी गई थी । उनमें से 10 कार्य पूरे हो चुके हैं,26 कार्य चल रहे है और बाकी बचे हुए 7 कार्यो में कार्यान्वयन अभिकरण के बदलने,निधियों के अपर्याप्त होने एंव कार्य-स्थल से संबंधित विवादों जैसे कारणों से देरी से हुई हैं ।

(ग) इंदौर के जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार तत्कालीन जिलाधिकारी ने माननीय संसद सदस्य की अनुशंसा पर अन्य योजनाओं से संबंधित कुछ कार्यो को मंजूरी प्रदान की थी तथा माननीय संसद सदस्य की मौखिक सहमति से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों के द्वारा जनहित में कुछ कार्यो को मंजूरी दी गई थी । उपर्युक्त की सूचना माननीय संसद सदस्य को भी जिलाधिकारी द्वारा जून,1996 में लिखित तौर पर दे गई थी ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।i

Subsidisation of Power and Irrigation Tariffs

*369. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have set up an internal Expert Committee viz. Gokak Pandit Committee, to examine the issue regarding heavy subsidisation of power and irrigation tariffs by the State Governments;

(b) if so, the details thereof;

(c) what is the extent of subsidy per unit for power and irrigation, State-wise, and the total burden thereof; and

(d) whether the State Governments have been directed to revise power/ irrigation tariffs and if so, the details of action taken thereon by the States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) The Gokak-Pandit Committee was not set up by Government to examine the issues regarding heavy subsidising of power and irrigation tariffs by the State Government.

विन्ध्याचल विद्युत परियोजना के लिए अधिगृहीत की गयी फालतू भूमि का उपयोग

*370. **श्री जगनाथ सिंह**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एन.टी.पी.सी.विन्ध्याचल विद्युत परियोजना के 2260 मेगावाट विद्युत संयंत्र के लिए अधिग्रहण की गयी कुल भूमि में से कितने एकड़ भू-क्षेत्र का पावर हाउस,टाउनशिप,एश-पाइप लाइन और एश-डाइक के लिए उपयोग किया जा रहा हैं ;

(**ख**) क्या यह सच है कि इस भूमि में से लगभग 2500 एकड़ भू-क्षेत्र पर बाहरी अतिक्रमण कर लिया गया है;

(**ग**) क्या यह भी सच है कि आवश्यकता से अधिक भूमि के अधिग्रहण से हजारों परिवारों के बेघर हो जाने के अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक जीवन दशा और मूल पारिस्थितिक प्रणाली पूरी तरह से नष्ट कर दी गयी है; और